कार्यालय उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक (द्वितीय) रणथम्भोर बाघ परियोजना करौली

क्रमांकः एफ ( ) 2022–23/एफ.सी.ए/उवसंआरटीआर–।।/2624-35 दिनांक :– 22/7/22

बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 11.07.22

दिनांक 11.07.2022 को कार्यालय उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक रणथम्भोर बाघ परियोजना–।। करौली के कार्यालय कक्ष में अधोहस्ताक्षरकर्ता का अध्यक्षता में वन्यजीव क्षेत्र के अन्तर्गत सडक निर्माण के संबंध में वन्यजीव व फॉरेस्ट स्वीकृतियों के प्रस्तावों के संबंध में सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड सपोटरा के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई जिसमें निम्न अधिकारियों ने भाग लिया :–

श्री रायसिंह गुर्जर, सहायक अभियन्ता सा.नि.वि. करणपुर।
श्री समय सिंह मीना, सहायक अभियन्ता सा.नि.वि. कुडगांव।
श्री चन्द्रप्रकाश, सहायक अभियन्ता सा.नि.वि. मण्डरायल।

1 अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया व परस्पर परियच के बाद बैठक में सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड सपोटरा के उपरोक्तानुसार अधिकारियों से वन्यजीव क्षेत्र के अन्तर्गत सडक निर्माण के संबंध में करणपुर–मण्डरायल–ओण्ड–चन्देलीपुरा (एमडीआर 3 ए) सडक निर्माण की वन्यजीव व फॉरेस्ट स्वीकृति बावत परिवेश पोर्टल पर प्रेषित प्रस्ताव FP/RJ/ROAD/148609/2021 जिसमें जरूरी संशोधनों व आवश्यक दस्तावेजो/स्वीकृतियों की पूर्ति बाबत अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय पत्रांक 707 दिनांक 04.03.2022 व पत्रांक 1319 दिनांक 20.04.2022 से अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड सपोटरा को लिखा जाने के बाद भी ईडीएस पत्रों के सभी बिन्दुओं की पूर्णतः पूर्ति के बिना बारम्बार प्रस्ताव अग्रेषित किये जा रहे थे, उक्त के संबंध में प्रस्तावों के समाधान बाबत चर्चा की गई।

2 अधोहस्तारकर्ता द्वारा सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सदस्यों को वन संरक्षण अधिनियम 1980 व वन्यजीव सुरक्षा अधि. 1972 के बारे में जानकारी दी गई व वन संरक्षण अधि. 1980 व वन्यजीव सुरक्षा अधि. 1972 के तहत वानिकी क्रियाकलापो के अलावा अन्य किसी भी गतिविधि हेतु फॉरेस्ट/वन्यजीव स्वीकृति की प्रक्रिया तथा आवश्यक दस्तावेजों के बारे में अवगत कराया गया।

3 करणपुर–मण्डरायल–ओण्ड–चन्देलीपुरा 00.0 किमी से 34.0 किमी (एमडीआर 3 ए) सडक निर्माण के चौडाईकरण व सुदृढिकरण हेतु वन्यजीव स्वीकृति के प्रस्ताव FP/RJ/ROAD/148609/2021 के संबंध में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्ताव के साथ संलग्न जी.टी. शीट पर मार्क प्रस्तावित क्षेत्र कैलादेवी अभयारण्य के साथ ही राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य की सीमा से गुजरना प्रतीत हो रहा है। अतः कार्यालय उप वन संरक्षक राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य सवाई माधोपुर से उनके अधीन अभयारण्य क्षेत्र से गुजरने वाले प्रस्तावित क्षेत्र की जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत की जावे व उक्तानुसार प्रस्ताव में आवश्यक संशोधन करें। जिस पर सहायक अभियन्ता सा.नि.वि. मण्डरायल द्वारा राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य के वन मण्डल से व जीआईएस तकनिकी से राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य के क्षेत्र से प्रस्तावित सडक के क्षेत्र की जानकारी जुटा कर आवश्यक संशोधन किया जाना अपेक्षित माना गया।

4 अधोहस्तारकर्ता द्वारा प्रस्ताव में अपलोड खसरा मैप्स में मार्क वन सीमा व वन बन्दोबस्त रिकॉर्ड में मार्क वन सीमा में भिन्नता होने बावत अवगत कराते हुए सही वन सीमा मार्क खसरा मैप्स अपलोड कराने व उक्तानुसार प्रभावित होने वाली वन भूमि के क्षेत्रफल की गणना सही करने के निर्देश दिये गये। जिस पर सहायक अभियन्ता सा.वि.नि. मण्डरायल द्वारा आवश्यक संशोधन करवाया जाना स्वीकार किया गया।

5 करणपुर–मण्डरायल–ओण्ड–चन्देलीपुरा 00.0 किमी से 34.0 किमी (एमडीआर 3 ए) सडक निर्माण के वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव FP/RJ/ROAD/148609/2021 के संबंध में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा अवगत करवाया गया कि फॉरेस्ट स्वीकृति के प्रस्ताव के भाग–।। की पूर्ति के लिए प्रस्तावित वन भूमि के प्रत्यावर्तन के बदले क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु देय गैर वन भूमि (एनएफएल) के आवटंन आदेश व केएमएल फाईल आवश्यक है। अतः वन भूमि से लगती हुई अतिक्रमण मुक्त वृक्षारोपण योग्य प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि के बराबर राजकीय गैर वन भूमि का आवंटन कराकर आवटंन आदेशों की प्रति व आवंटित भूमि की केएमएल प्रस्ताव के साथ ऑनलाई अपलोड कराकर ही प्रस्ताव को प्रेषित करे।

6 साथ ही अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि प्रस्तावित क्षेत्र की भूमि पर अनुसुचित जन जाति से संबंधित किसी हित धारक के वनाधिकार अधि. 2005 के तहत अधिकार होने/ना होने की पुष्टि कर लिये जाने हेतु एफआरए प्रमाण पत्र आवश्यक है।

7 सहायक अभियन्ता सा.नि.वि. मण्डरायल द्वारा निवेदन किया गया कि प्रस्तावित सडक निर्माण हेतु आवश्यक न्युनतम वन भूमि की पुनः सही गणना करने के बाद गैर वन भूमि के आवंटन व एफआरए प्रमाण पत्र हेतु श्रीमान् जिला कलक्टर करौली को प्रस्ताव भिजवा कर जल्द ही आवश्यक कार्यवाहीयां पूर्ण करा ली जावेगी।

8 अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा बैठक में उपस्थिति सदस्यों को जानकारी दी गई कि फॉरेस्ट स्वीकृति से पहले वन्यजीव स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक है। वन्यजीव क्षेत्रों व उनकी पारिस्थिकी संवेदी सीमा के अन्तर्गत के प्रस्तावों पर वन्यजीव स्वीकृति के बिना भारत सरकार द्वारा वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्टेज–।।/अन्तिम स्वीकृति जारी नहीं की जाती है। अतः वन्यजीव स्वीकृति प्रस्ताव में उपरोक्त बिन्दू संख्या 3 व 4 अनुसार आवश्यक संशोधन कराकर ही प्रेषित किया जावे व बिन्दु संख्या 5, 6 व 7 अनुसार आवश्यक कार्यवाही बाद फॉरेस्ट स्वीकृति के प्रस्ताव को अग्रेषित किया जावे। जिस पर सहायक अभियन्ता सा.नि.वि. मण्डरायल द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव की वन्यजीव स्वीकृति हेतु प्रस्ताव परिवेश पॉर्टल पर अप्लाई कर दिये जाने की अण्डरटेकिंग प्रस्तुत/अपलोड करने व गैर वन भूमि के आवंटन व एफआरए प्रमाण पत्र के साथ फॉरेस्ट स्वीकृति के प्रस्ताव को भी वन्यजीव स्वीकृति के प्रस्ताव के समानान्तर आगे बढाये गये अनुरोध किया। उक्त अनुरोध को अधोहस्ताक्षरकर्ता ने स्वीकार योग्य बताया व सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि उक्तानुसार समस्त बिन्दुओं की पूर्ति/अनुपालना के साथ समस्त सूचनाओं/दस्तावेजो को संलग्न कर परिशुद्व प्रस्ताव परिवेश पॉर्टल पर अग्रेषित करे। उपरोक्तानुसार बिन्दुओं की पूर्णतः पूर्ति के बिना अधूरे प्रस्तावों को बारम्बार अग्रेषित ना करे। इससे अनावश्यक समय जाया होता है व कार्यालय कार्यो में विलम्ब होता है।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

(डॉ0 रामानंद भाकर I.F.S.)
उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक
रणथम्भोर बाघ परियोजना–।।, करौली

कमांकः एफ ( ) 2022–23/एफ.सी.ए/उवसंआरटीआर–।।/ दिनांक :–

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान जयपुर।
2. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, राजस्थान जयपुर।
3. मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव एवं क्षेत्र निदेशक, रणथम्भौर बाघ परियोजना, सवाई माधोपुर।
4. उप वन संरक्षक राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य, सवाई माधोपुर।
5. अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत करौली, जिला करौली।
6. अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड सपोटरा, जिला करौली।
7. सहायक अभियन्ता सा.नि.वि., करणपुर, जिला करौली।
8. सहायक अभियन्ता सा.नि.वि., कुडगांव, जिला करौली।
9. सहायक अभियन्ता सा.नि.वि., मण्डरायल, जिला करौली।

उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक
रणथम्भोर बाघ परियोजन–।।, करौली